EPIC-COMP-DEO
अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प.: F. 3/III-A/Elec./EPIC-VII/Gen./11/ 2776 जयपुर, दिनांक : 14.03.2014

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)– राजस्थान।

विषय : पहचान पत्र संबन्धी शिकायतों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं डेली न्यूज दैनिक समाचार पत्रों के 10 मार्च 2014 के संस्करणों में मतदाता फोटो पहचान पत्रों में नाम, उम्र, लिंग एवं पता गलत अंकित होने, फोटो अस्पष्ट होने अथवा फोटो अन्य का होने एवं मतदाता सूची में नाम जुडने के उपरान्त भी पहचान पत्र प्राप्त न होने सम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुए है।

इस विभाग के पूर्व पत्रांक 3668 दिनांक 10.10.2012 एवं 4963 दिनांक 27.09.2013 द्वारा पहचान पत्रों की प्रारम्भिक जॉच कर त्रुटियुक्त पहचान पत्रों को पृथक करने के दिशा निर्देशों के साथ मतदाता को किसी भी स्थिति में त्रुटियुक्त पहचान पत्र वितरित नही करने एवं मतदाताओं को समय पर पहचान पत्र उपलब्ध कराने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। इसके उपरान्त भी समाचार पत्रों में इस इस प्रकार के समाचार प्रकाशित होने से स्पष्ट है कि आपके कार्यालय के कार्मिकों एवं बी.एल.ओ. द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों की गंभीरता से पालना नहीं की जा रही है। इससे विभाग की छवि तो धूमिल होती ही है, पहचान पत्र कार्यक्रम पर भी विपरीत प्रभाव पडता है।

अतः पुनः लेख है कि मतदाताओं को पहचान पत्र वितरण से पूर्व निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें:–

1.	फ़र्म द्वारा पहचान पत्रों की आपूर्ति पर प्रांरभिक जाँच कर यह सुनिश्चित करावें कि–	
	(i)	पहचान पत्र पर निर्धारित स्थान पर होलोग्राम लगा हुआ है।
	(ii)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सील निर्धारित खाली स्थान पर लगी हुई है। सील मतदाताओं के पते व अन्य सूचनाओं पर मुद्रित न हो ताकि पता व अन्य सूचनाएँ स्पष्ट दृष्टिगोचर हों।
	(iii)	पहचान पत्र चारों ओर से अच्छी तरह से लेमिनेटेड किया हुआ है तथा चारों ओर समान मात्रा में स्थान छूटा हुआ है।
	(iv)	मतदाता के पहचान पत्र पर उसी मतदाता का फोटो मुद्रित है, किसी अन्य मतदाता का नहीं।
	(v)	पहचान पत्र में लिंग संबन्धी त्रुटि नहीं है, यथा पुरूष मतदाता के पहचान पत्र पर स्त्री एंव स्त्री मतदाता के पहचान पत्र पर पुरूष अंकित न हो।
	पहचान पत्रों की प्रांरभिक जाँच में उक्त त्रुटि वाले पाए गए पहचान पत्रों को पृथक कर, अनुबन्धित फर्म से सही कराकर त्रुटिरहित पहचान पत्र ही मतदाताओं में वितरित कियें जायें। जो पहचान पत्र त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, उनको भुगतान योग्य	

	प्रमाणित पहचान पत्रों में शामिल नहीं किया जायें। ऐसे पहचान पत्र रिजेक्ट पहचान पत्रों में शामिल किये जायें ताकि फर्म को इनका भुगतान न हो तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकें। **इसका विशेष ध्यान रखा जाये कि यदि त्रुटियुक्त पहचान पत्रों को अन्तरिम प्रमाण पत्रों में रिजेक्ट वाले कालम में अंकित नहीं किया गया है, तथा फर्म द्वारा इन्हें सही कर पुनः आपूर्ति नहीं की गई है तो इसका पूर्ण रिकॉड रखा जाये तथा फेज की समाप्ति पश्चात् अन्तिम प्रमाण पत्रों में इनका समायोजन किया जाये। यदि फर्म द्वारा इन्हें पुनः सही कर आपूर्ति किये गये है तो इन्हें पुनः डुप्लीकेट कार्ड मानते हुए प्रमाणित नहीं किया जाये क्योंकि ये पूर्व में ही अन्तरिम प्रमाण–पत्रों में प्रमाणित है।**
2.	पहचान पत्रों के मतदाताओं में वितरण के समय यदि मतदाता द्वारा पहचान पत्र में कोई त्रुटि बताई जाती है तो मतदाता को उस पहचान पत्र का वितरण नहीं किया जाये। यदि पहचान पत्र में त्रुटि मतदाता सूची की प्रविष्टि में त्रुटि के कारण है, तो मतदाता से फार्म सं. 8 में आवेदन प्राप्त कर पहचान पत्र सही कराकर ही मतदाता को वितरित किया जाये तथा फार्म सं. 8 के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जाये।
3.	अनुबन्धित फर्म द्वारा पहचान पत्रों की आपूर्ति करने के 15 दिन में संबन्धित मतदाता को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र की आपूर्ति की जाये।
4.	किसी मतदाता द्वारा पहचान पत्र के संबंध में त्रुटि सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर समुचित सहयोग प्रदान करते हुए 15 दिन में शिकायत का निस्तारण करावें। यह भी सुनिश्चित करावें कि दुबारा मतदाता को त्रुटिरहित पहचान पत्र ही जारी हो।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएँगे ताकि पहचान पत्रों संबन्धी शिकायतों को शून्य स्तर पर लाया जाकर कार्यक्रम के प्रति मतदाताओं के विश्वास को कायम रखा जा सके।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।

क्र: **F. 3/III-A/Elec./EPIC-VII/Gen./11/** जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ए.डी.एम / एस.डी.एम.) राजस्थान।
2 मै. मल्टीवेव इनोवेशन, जयपुर
3 मै. बाईनरी सिस्टम्स, जयपुर।
4 मै. जैम कम्प्यूटर्स, जयपुर।
5 मै. बिजनेस इन्फोरमेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, जयपुर
6 मै नैचुरल साफ्टवेयर्स प्रा. लि. जयपुर

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर ।